विषय:

एफ-22-50 / 2016 / पैंतीस

का विभाग

P-1)~

विषय- याचिका कमांक WP 8458/15 द्वारा श्रीमती भागवंती चौहान विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य।

(2) पंजी कमांक 489 / 2016, दिनांक 28.1.2016

(3) पंजी कमांक 1208/2016, दिनांक 2.3.2016

कृपया विचाराधीन पत्रों का अवलोकन करें। मान, उच्च न्यायालय, जबलपुर खण्डपीठ इन्दौर में दायर याचिका कमांक WP 8458 / 15 द्वारा श्रीमती भागवंती चौहान दायर की गई है।

श्रीमती चौहान द्वारा उक्त याचिका अधिक भूगतान की

वसूली वापस करने हेत् दायर की गई है।

अतः यदि मान्य हो तो प्रकरण में शासन की ओर से पक्ष समर्थन एवं प्रत्यावर्तन प्रस्तुत किये जाने हेत् उप संचालक पश् चिकित्सा सेवाएं जिला इन्दौर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

व्रबनुसार प्रारूप अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। अस्त (ण) on Leavy A अनुभोदनार्थे उस् स्पमा A अनुभोदनार्थे अन्तुत ही


पु. अ. यया प्रधादित

53.16

11.50 50CV

नस्ती क.19.31 /प्र.स./पशुपा/201 (प्र आयक दिनाक ०ऽ / 3.1291 ८ जायक दिनाक ०ऽ /७३ /201

CCNS14



BY REGD. A.D. PUSI http://172.25.186.5/cishcbom/Demo//menu.php

IN THE High Court of Judicature at Jabalpur: Bench at Indore

Process Id: 4120/2016

WP/8458/2015

From

Deputy Registrar, High Court of Judicature at Indore 1208/16/35 62/31/6=

Against Admission 114
Fixed for 21-04-2016

WP-DA-6

Respondent No. 1

To,

State of M.P. Through Principal Secretary, Animal Husbandary Department, Vallabh Bhawan Mantralaya, District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

2996 16 Indore 23-01-2016

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 8458/ 2015

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Smt. Bhagwanti Chouhan** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/8458/2015

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before 21-04-2016. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court) Encl: Copy of Petition

APPIXED AT INDORE

Your's faithfully

DEPUTY REGISTRAR

मध्य प्रदेश शासन पशुपालन विमाग मंत्रालय, वल्लम भवन—462004

आदेश

भोपाल, दिनांक 9 मार्च, 2016

कमांक एफ-22-50/2016/पैंतीस - प्रकरण में सिविल प्रकिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 5) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संचालक, पशु स्वास्थ्य एवं जैविक उत्पाद संस्थान महूं जिला इन्दौर को प्रकरण कमांक 8458/2015 द्वारा श्रीमती मागवंती चौहान विरुद्ध श्री नरेश दवेसर एवं प्रमुख सचिव पशुपालन विभाग में मध्यप्रदेश राज्य शासन के लिए तथा शासन की ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने, आवेदन करने और उपसांजात होने के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में, जिनमें ब्यौरे नीचे दिये गये है, निम्नलिखित कार्य करेगा:-

(1) प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरंत ऐसी जांच करेंगे जैसी कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये जिनमें कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया जाता है तो उस विभाग को राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी।

(2) समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनायें तथा आदेश एकत्रित करेगा।

(3) वादपत्र/याचिका में उठाए गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है एक रिपोर्ट तैयार करेगा।

(4) उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।

(5) शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवाएगा।

(6) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेंगे :--

(क) वादपत्र की एक प्रति के साथ सरकार की रिपोर्ट।

(ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।

(ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूचि जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।

(घ) मामले के विशदीकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां, इसमें वाद की सुनवाई की

तारीख भी वर्णित होनी चाहिए.

(7) मामले के तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किए गए कर्तव्यों से स्वयं को सदैव अवगत रखना।

(8) जब कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरूद्ध पारित किया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।

9) अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश / निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली

कार्यवाही किये जाने के लिये इस विभाग को भेजेंगे।

(10) यह देखना कि आवेदन करने में, प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में, रिपोर्ट बनाने में, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।

(11) जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है तथा तब वह अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाए।

(12) प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित / छुपी हुई नहीं रह

जार्

(13) प्रमारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है, तो वह जैसे ही वाद की विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्त की

(14) प्रमारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है, तो वह इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि प्रमारा आध्यकारा या याय लाक जानवाजक नुकरर है, तो वह दूरा बात के लिस अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण उन मामलों में जहां किसी वाद के प्रकम में पारित किए गए किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह उन आदेशों की प्रति जैसे ही पारित किया जापात है, तम्ब पर प्राप्यां प्राप्य पर प्राप्यां प्राप्य पर है। जतर्भ पर है। जार्म पर जापरा। प्राप्य पर प्राप्य जाए, विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(कलिस्ता कुजूर) अवर मा O मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग भोपाल, दिनांक 9 मार्च, 2016

पृक्मांक एफ-22-50/2016/पैतीस

- सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल। प्रतिलिपि-
- काबालय—निवायवता, उच्च न्यायालय, इन्पार।
 संचालक, पशु स्वास्थ्य एवं जैविक उत्पाद संस्थान महूं जिला इन्दौर प्रभारी अधिकारी की ओर 2. संचालक, पशुपालन, मध्यप्रदेश, भोपाल। अग्रेषित, साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त कार्यालय महाचिवक्ता, उच्च न्यायालय, इन्दौर। करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे उसके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजनी चाहिए वाद पत्र की एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाए। अवर सचिव

अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग